न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 35 / 2015 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2015 / 00128

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. जसाराम पुत्र सुजाराम जाति प्रजापत, निवासी रोहट, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत रोहट मार्फत सरपंच, पता रोहट तहसील रोहट जिला पाली (राज.) 2. श्रीमति मांगीदेवी पत्नी जीताराम जाति प्रजापत, निवासी कुम्हारों का बास, रोहट तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 30/9/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत रोहट द्वारा जारी पट्टा संख्या 45 व मिसल संख्या 35 निर्णय दिनांक 9.11.1997 तथा प्रस्ताव संख्या – दिनांक 30.4.1998 को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचाचत से रेकर्ड तलब किया गया रेकर्ड प्राप्त नहीं होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि विवादग्रस्त पट्टा जारी करने से पूर्व न तो पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया न ही उसको दर्ज कर विधिवत फीस प्राप्त की गई न ही मिसल तैयार की गयी न ही विधिवत रूप से पत्रावली ही तैयार की गई न आपति नोटिस जारी करने सम्बन्धी प्रस्ताव भी लिया गया इस प्रकार राजस्थान पंचायत राज नियम 144 से 156 तक की पालना ही नहीं की गई एवं नियम 157 के तहत विवादग्रस्त आबादी भूमी का विवादग्रस्त पट्टा राशि रूपये 200 /– के जारी किया गया जो विधिसम्मत रूप से जारी नहीं किया जाने से पट्टा निरस्त फरमाया जावे। विवादग्रस्त भूमी वक्त आवंटन नियमितीकरण के दिनांक 30.4.98 को ग्राम पंचायत की भूमी नहीं थी। विवादग्रस्त भूमी सहित भूखण्ड बनाप 65 गुणा 91 फुट का आवासीय पट्टा संख्या 36 मिसल संख्या 84 / 1960 के निर्णय के परिणामस्वरूप दिनांक 31.7.60 को प्रार्थी के द्वारा सूखा जी प्रजापत के नाम से जारी किया गया पूर्व में पट्टा प्रार्थी के दादा सुखाराम जी प्रजापत के नाम जारी होने से नजूल आबादी भूमी नहीं रही इसलिए जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कूटरचित एवं बिना किसी नियमों की पालना के तैयार कर प्राप्त किया जाना साबित होने से जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि भूमी का पट्टा सुखाराम के नाम जारी होना बताया है जिसके पड़ोस में भिन्नता है इस वजह से यह सिद्ध नहीं होता कि पट्टे पर पट्टा जारी किया गया था प्रार्थी द्वारा शुल्क जमा कराया था, वार्ड पंचों की कमेटी भी गठित की गई थी, बयान भी लिए गए थे एवं अनापति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। ग्राम पंचायत में पट्टा संबंधी रेकर्ड नहीं होने से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि नियमों की पालना नहीं की गई है। पंचायत नियम 144 से 157 तक की पालना की गई एवं फिर पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में रेकर्ड नहीं हाने का दोषी अप्रार्थी को ठहराया जाकर उसे दण्डित नहीं किया जा सकता है। मिसल [illegible] नहीं है तो इसके लिए अपार्थी जिम्मेदार नहीं है प्रार्थी का पट्टा निरस्त [illegible] है तो विधिविरूद्ध होगा जबकि प्रार्थी पट्टे पर पट्टा होना [illegible] का पालन ही किया जाना ही सिद्ध करवाया है [illegible] जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाने के आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:25:53 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया जैर निगरानी पट्टे बाबत प्रस्तुत इस निगरानी में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

क्रमश..................2

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

1. क्या पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है ?
2. पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया गया है ?

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों पट्टे जैर निगरानी पट्टा संख्या 2111 एवं पट्टा संख्या 36 मिसल संख्या 84 / 1960 जो दिनांक 31.7.60 को जारी किया गया उन दोनों के कोई भी पड़ोस समान नहीं है सभी अलग–अलग है इससे पट्टे पर पट्टा जारी किया जाना सिद्ध नहीं होता है। एवं न ही पंचायत की भूमी नहीं होना ही सिद्ध होता है इससे जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

ग्राम पंचायत की पत्रावली बाबत ग्राम पंचायत रोहट ने जरिए पत्रांक ग्रा.प. रो. / 2016 / 06 दिनांक 07.01.2016 के अवगत कराया कि मिसल पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है न दर्ज रजिस्ट में दर्ज है। जो इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया या नहीं, शुल्क वसूला गया या नहीं, मौका निरीक्षण हेतु किन पंचों को मनोनित किया गया एवं उनके द्वारा मौका देखा गया अथवा नहीं तथा आपति इश्तिहार जारी किया गया अथवा नहीं तथा कहां चस्पा किया गया दो गवाहों के बयान लिये गये अथवा नहीं इन सभी तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है अर्थात राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 145 से 157 तक की पालना की गई अथवा नहीं अर्थात ग्राम पंचायत की पत्रावली के अभाव में प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं इसका परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। न ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य / सबूत / दस्तावेज ही प्रस्तुत किया जिससे यह साबित हो सके कि पुश्तैनी मकान अथवा भूखण्ड पर पुश्तैनी कब्जा नहीं था ऐसी स्थिति में में जैर निगरानी पट्टे को अविधिक नहीं ठहराया जा सकता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 45 जो प्रस्ताव संख्या निल दिनांक 30.4.1998 की पालना में मिसल संख्या 35 दिनांक 09.11.1997 में पारित आदेशों की पालना में जारी किया गया उन्हें यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:25:53 IST
Reason: SelfAttested